रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255777
CG-DL-E-29072024-255777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जुलाई 25, 2024/ श्रावण 3, 1946
No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/ SHRAVANA 3, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25, जुलाई, 2024

सं. 15/2024–25

विषय : 'अनुपालन बोझ' को कम करने और 'व्यापार करने में सुगमता' को बढ़ाने हेतु निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023, के अध्याय 5 में संशोधन के संबंध में।

फा.सं. 18/19/एएम–25/पी–5.— समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के अध्याय 5 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

क्र. सं.	पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	**5.04(क)**	प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 6 माह के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण–पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के	प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण–पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>फैक्टरी/परिसरों में संस्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 5000/– रु. के संरचना शुल्क के साथ उक्त अवधि को एक बार और 12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियंता के प्रमाणपत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाणपत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाईयों को पूर्ण निर्यात दायित्व अवधि के दौरान पूंजीगत माल का नए संस्थापन प्रमाण पत्र छह माह के भीतर प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।</td>
<td>फैक्टरी/परिसरों में संस्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा प्रति वर्ष 10,000/– रुपये के संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ वैध निर्यात दायित्व अवधि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उक्त अवधि के विस्तार की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियंता के प्रमाणपत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाणपत्र की एक प्रति सूचना/ अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाईयों को पूर्ण निर्यात दायित्व अवधि के दौरान पूंजीगत माल का नए संस्थापन प्रमाण पत्र छह माह के भीतर प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>5.04(ख)</td>
<td>कलपुर्जों के आयात के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा संस्थापन प्रमाण–पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।</td>
<td>हटा दिया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5.13(ग)</td>
<td>पहले ब्लॉक की निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध ब्लॉक से संबंधित ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में ड्यूटी राशि पर 2 प्रतिशत की संयोजन शुल्क के साथ पहले ब्लॉक ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। आरए 10,000 रुपये प्रति प्राधिकार पत्र के विलंब शुल्क के साथ ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो 6 महीने के बाद, लेकिन प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 6 साल के भीतर प्राप्त होता है। संबंधित आरए द्वारा नियमितीकरण उद्देश्य के लिए ब्लॉक–वार ईओ अवधि के विस्तार के लिए प्रति प्राधिकार पत्र प्रति वर्ष 5,000/– रुपये के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ 6 साल से अधिक के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। यह विलंब शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त है जो निर्यात दायित्व में कमी के कारण देय हो सकता है। जहां पहले ब्लॉक का ईओ उपरोक्त पैरा (क) के संदर्भ में पूरा नहीं होता है, उन मामलों को छोड़कर जहां पहले ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ को आरए द्वारा बढ़ाया जाता है, प्राधिकार पत्र धारक ब्लॉक की समाप्ति से 6 महीने के भीतर प्रथम ब्लॉक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में सीमा शुल्क (डीओआर द्वारा अधिसूचित लागू ब्याज के साथ) का भुगतान करेगा ।</td>
<td>पहले ब्लॉक की निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध पहले ब्लॉक ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर संयोजन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगाः–
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संयोजन शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>10करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>15,000</td></tr>
</table>
क्षेत्रीय प्राधिकारी 6 महीने के बाद प्राप्त ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के अनुरोध पर, परन्तु प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 6 वर्ष के भीतर निम्नानुसार संयोजन शुल्क पर विचार कर सकता हैः–
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संयोजन शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये</td><td>30,000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>से ऊपर</td><td></td></tr>
</table>
नियमितिकरण के उद्देश्य हेतु ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के लिए 6 वर्षों के बाद किए गए आवेदन पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी निम्नानुसार संयोजन शुल्क पर विचार कर सकता है:—
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार—पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संरचना शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>15,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>45,000</td></tr>
</table>
पूर्व में भुगतान किए गए संयोजन शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

जहां पहले ब्लॉक का ईओ उपरोक्त पैरा (क) के संदर्भ में पूरा नहीं होता है, उन मामलों को छोड़कर जहां पहले ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ को आरए द्वारा बढ़ाया जाता है, प्राधिकार पत्र धारक ब्लॉक की समाप्ति से 6 महीने के भीतर प्रथम ब्लॉक के कुल पूरे न किए गए ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में सीमा शुल्क (डीओआर द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज के साथ) का भुगतान करेगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>5.13(ङ.)</td>
<td>नया प्रावधान</td>
<td>यद्यपि उपर्युक्त उप पैरा (घ), उप पैरा (ग) एफटीपी (2015—20) के तहत जारी प्राधिकार—पत्र हेतु भी लागू होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>5.16(ख)</td>
<td>6 वर्ष से अधिक के निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक एक वर्ष की समाप्ति की तिथि से निर्यात दायित्व अवधि में दो बढोतरी हेतु प्रत्येक वर्ष के विस्तार के लिए अपूर्ण निर्यात दायित्व पर बचाई गई समानुपातिक शुल्क राशि के 2 प्रतिशत के बराबर संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, न्यूनतम संयोजन शुल्क 10,000 रुपये होगा।</td>
<td>
निर्यात दायित्व अवधि को 6 वर्ष से अधिक विस्तार के मामले में, दो विस्तार, समाप्ति की तिथि से प्रत्येक, 1 वर्ष या प्राधिकार पत्र धारक की चयन पर एक बार में दो वर्ष संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पर निम्नानुसार विचार किया जा सकता हैरू.
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार—पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>प्रत्येक वर्ष संयोजन शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>60,000</td></tr>
</table>
पूर्व में भुगतान किए गए संयोजन शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>6.</td><td>5.16(ङ.)</td><td>नया प्रावधान</td><td>ब्लाक–वार/ईओ अवधि में विस्तार और/अथवा पहले से किए गए निर्यात के नियमितीकरण की अनुमति देते हुए संयोजन शुल्क लगाने से संबंधित सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु लागू संयोजन शुल्क निम्नानुसार होगारू.
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संरचना शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>60,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>1,00,000</td></tr>
</table>
पूर्व में भुगतान किए गए संयोजन शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।</td></tr>
</table>

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने हेतु और अनुपालन बोझ को कम करने की दृष्टि से, प्रक्रिया पुस्तक 2023 की निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित अध्याय 5 के कतिपय प्रावधान विदेश व्यापार नीति के तहत जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र हेतु संशोधित किए गए हैं।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार,

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th July, 2024

No. 15 /2024-25

Subject: Amendments in Chapter 5 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023, related to Export Promotion Capital Goods Scheme to reduce 'Compliance Burden' and enhance 'Ease of doing Business' – reg.

F. No. 18/19/AM-25/P-5.— In exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Chapter 5 of the HBP, 2023 with immediate effect. -

S. No.	Para No.	Existing provision	Revised provision
1	**5.04(a)**	Authorisation holder shall produce, within six months from date of completion of import, to the concerned RA, a certificate from the jurisdictional Customs authority or an independent Chartered Engineer, at the option of the authorisation holder, confirming installation of capital goods at factory/premises of authorisation holder or his supporting manufacturer(s). The RA may allow one time extension of the said period for producing the certificate by a maximum period of 12 months with a composition fee of Rs. 5000/-. Where the authorisation holder opts for independent	Authorization holder shall produce, within 3 years from date of completion of import, to the concerned RA, a certificate from the jurisdictional Customs authority or an independent Chartered Engineer, at the option of the authorisation holder, confirming installation of capital goods/spares at factory/premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s). The RA may allow extension of the said period for submission of certificate, upto valid EO period with a payment of a composition fee of Rs. 10,000/- per year by the authorisation holder. Where the authorisation holder opts for independent Chartered Engineer's

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Chartered Engineer's certificate, he shall send a copy of the certificate to the jurisdictional Customs Authority for intimation/record. The authorisation holder shall be permitted to shift capital goods during the entire export obligation period to other units mentioned in the IEC and RCMC of the authorisation holder subject to production of fresh installation certificate to the RA concerned within six months of the shifting.</td><td>certificate, he shall send a copy of the certificate to the jurisdictional Customs Authority for intimation/record. The authorization holder shall be permitted to shift capital goods during the entire export obligation period to other units mentioned in the IEC and RCMC of the authorization holder subject to production of fresh installation certificate to the RA concerned within six months of the shifting.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5.04(b)</td><td>In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorisation holder within a period of three years from the date of import.</td><td>Deleted.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5.13(c)</td><td>Request for extension of Export Obligation period of first block shall be submitted within 6 months from the date of expiry of first block EO period along with composition fee of 2% on duty saved amount proportionate to unfulfilled portion of EO pertaining to the block. RA may consider the request for extension of block wise EO period, received after 6 months, but within 6 years from date of issue of authorisation, with a late fee of Rs. 10,000/- per authorisation. Application made beyond 6 years, for extension of block-wise EO period for regularization purpose, shall also be considered by RA concerned, with an additional late fee of Rs. 5,000/- for each year per authorisation. This late fee is in addition to the composition fee that may be payable on account of shortfall in export obligation. Where EO of the first block is not fulfilled in terms of para (a) above, except in cases where the EO prescribed for first block is extended by the RA, the Authorisation holder shall, within 6 months from the expiry of the block, pay duties of customs (along with applicable interest as notified by DOR) proportionate to duty saved amount on total unfulfilled EO of the first block.</td><td>Request for extension of Export Obligation period of first block shall be submitted within 6 months from the date of expiry of first block EO period along with composition fee as under :-
<table><tr><td>Duty Saved value of EPCG Authorisation issued</td><td>Composition fee to be levied (in Rupees)</td></tr><tr><td>Up to ₹2 Crores</td><td>5,000</td></tr><tr><td>More than ₹2 Crores to 10 Crores</td><td>10,000</td></tr><tr><td>Above ₹10 Crores</td><td>15,000</td></tr></table>
RA may consider the request for extension of block-wise EO period, received after 6 months, but within 6 years from date of issue of authorisation, with composition fee as under :-
<table><tr><td>Duty Saved value of EPCG Authorisation issued</td><td>Composition fee to be levied (in Rupees)</td></tr><tr><td>Up to ₹2 Crores</td><td>10,000</td></tr><tr><td>More than ₹2 Crores to 10 Crores</td><td>20,000</td></tr><tr><td>Above ₹10 Crores</td><td>30,000</td></tr></table>
Application made beyond 6 years, for extension of block-wise EO period for regularization purpose, shall also be considered by RA concerned, with composition fee as under :-
<table><tr><td>Duty Saved value of EPCG Authorisation issued</td><td>Composition fee to be levied (in Rupees)</td></tr><tr><td>Up to ₹2 Crores</td><td>15,000</td></tr><tr><td>More than ₹2 Crores to 10 Crores</td><td>30,000</td></tr><tr><td>Above ₹10 Crores</td><td>45,000</td></tr></table>No refund of earlier paid Composition Fee shall be</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>admissible.

Where EO of the first block is not fulfilled in terms of para (a) above, except in cases where the EO prescribed for first block is extended by the RA, the Authorisation holder shall, within 6 months from the expiry of the block, pay duties of customs (along with applicable interest as notified by DOR) proportionate to duty saved amount on total unfulfilled EO of the first block.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>5.13(e)</td><td>New provision</td><td>Notwithstanding sub-para (d) above, sub-para (c) above shall also be applicable for authorisations issued under FTP (2015-20).</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>5.16(b)</td><td>In case of extension of Export obligation period beyond 6 years, two extensions, from date of expiry, of one year each may be considered by RA concerned, on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation for each year of extension. However, minimum composition fee shall be Rs. 10,000/-.</td><td>In case of extension of Export obligation period beyond 6 years, two extensions, from date of expiry, of one year each or two years in one go at the choice of authorisation holder, may be considered by RA concerned with composition fee as under :-
<table>
<tr><td>Duty Saved value of EPCG Authorisation issued</td><td>Composition fee to be levied for each year (in Rupees)</td></tr>
<tr><td>Up to ₹2 Crores</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>More than ₹2 Crores to 10 Crores</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>Above ₹10 Crores</td><td>60,000</td></tr>
</table>
No refund of earlier paid Composition Fee shall be admissible.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>5.16(e)</td><td>New provision</td><td>For implementation of all PRC decisions involving levy of Composition Fee while allowing extension in block-wise/EO period and/or regularisation of exports already made, the applicable Composition Fee shall be as under :-
<table>
<tr><td>Duty Saved value of EPCG Authorisation issued</td><td>Composition fee to be levied (in Rupees)</td></tr>
<tr><td>Up to ₹2 Crores</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>More than ₹2 Crores to 10 Crores</td><td>60,000</td></tr>
<tr><td>Above ₹10 Crores</td><td>1,00,000</td></tr>
</table>
No refund of earlier paid Composition Fee shall be admissible.</td></tr>
</table>

Effect of this Public Notice: With a view to enhance ease of doing business and reduce the compliance burden, certain provisions of Chapter 5 related to the Export Promotion Capital Goods Scheme of the Handbook of Procedures, 2023 are amended for EPCG authorizations issued under Foreign Trade Policy.

SANTOSH KUMAR SARANGI ,Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.29 23:02:10 +05'30'